

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

A  
1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गगनदीप कौर आदि बनाम राजस्थान सरकार  
अन्तर्गत धारा 53,91 आरटीए नम्बर 45 सन् 2020

*Handwritten signature*

मेल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.20	<p>वादिया गगनदीप कौर पत्नि प्रदीप सिंह जटसिख निवासी 46 एक मौडा तहसील श्री करणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दर्शन सिंह ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91 आरटीए पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.07.2020 को पेश हो।</p>	
23/6/20	<p>आज यह पत्रावली वादिना अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 CPC पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में विवेदन किया कि वादिना उक्त दावा इसी स्टेज पर वापिस लेना चाहते हैं। दावा में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः दावा इसी स्टेज पर वापिस लौटाए जाने के आदेश फरमावे। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र नोटिस करने पर वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम हो</p>	

*Handwritten signature*



(सुलेखन्द सुणिया)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर